72

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

अपील कमांक निग -1415 - सन् 2016 I-16

कु0 विकम सिंह उर्फ नातीराजा तनय श्री स्व0 राजाबहादुर
बलवंत सिंह जू देव निवासी खजुराहो तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

मुन्नालाल तनय श्री बैजनाथ सोनी
निवासी बंधियन मुहल्ला छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 ....उत्तरवादी

दिनांक 5.5.16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।

5.5.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 विरूद्व अनु0अधि0 छतरपुर के प्रकरण कमांक 117/अपील/बी-121/15-16 दिनांक 28.04.2016 से परिवेदित होकर।

महोदय

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है-

01. यह कि भूमि खसरा नं0 3664/3 रकवा 10.000हे0 स्थित ग्राम छतरपुर की भूमि है जो निगरानीकर्ता की पैत्रिक संम्पत्ति है जिसके स्वामी महाराजा भवानी सिंह जू देव थे।

02. यह कि उक्त् विवादित भूमि के संबंध में उत्तरवादी ने एक जाली विकय पत्र दिनांक 10.04.1972 जो अपंजीकृत है इसी आधार पर नामांतरण आदेश प्रकरण कमांक 171/अ-6/2002-03 मे पारित आदेश दिनांक 28.07.2003 को करा लिया था जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय मे कमांक 77/अपील/2006-07 मे पेश की थी जिसका निराकरण दिनांक 08.10.2009 को किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार छतरपुर को गुण दोषो के आधार पर पक्षकारो को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया था जिसके विरूद्व निगरानी मान्नीय कलेक्टर महोदय छतरपुर के समक्ष पेश हुई जो प्रकरण कमाक 40/अपील/2011-12 होकर दिनांक 04.12.2012 को निरस्त की गई।

क्रमशः//2//

XXX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1415–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-8-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 117/2015–16 बी–121 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–4–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कृषकों द्वारा बोई गई खरीफ फसल की सूखा पड़ने के कारण हुई क्षति का मुआवजा निर्धारित करने एंव फसल की क्षति के आकलन हेतु दल गठित किया गया, जिसकी रिपोर्ट पर से तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 31 बी 121/15–16 पंजीबद्व किया । भूमि सर्वे कमांक 3664/3 रकबा 10.000 हैक्टर में बोई गई फसल की क्षति के मुआवजा वितरण के सम्बन्ध में आवेदक ने आपत्ति दर्ज कराई। तहसीलदार छतरपुर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 29–3–16 पारित किया तथा निर्णीत किया कि आवेदक मुन्नालाल सोनी पुत्र बैजनाथ सोनी निवासी छतरपुर द्वारा खसरा नंबर 3664/3 रकबा 10.000 हैक्टर में से बोया गया रकबा 9.400 हैक्टर की विभिन्न किस्म की फसलों का 30 प्रतिशत कुल राशि 45100/–रू. स्वीकृत जाती है जो मुन्नालाल सोनी पुत्र बैजनाथ सोनी के खाते में जारी की जाय। तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–3–16 के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील कमांक 117/15–16 बी 121 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 28–4–16 से निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ आवेदक के अभिभाषक श्री बी0पी0खरे तथा अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों	

के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम खास छतरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 3664/3 रकबा 10.000 हैक्टर के सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच स्वत्व के सम्बन्ध में मान0प्रथम व्यवहार न्यायाधीश छतरपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 18 ए/2013 चला, जिसमें पारित आदेश दिनांक 18-2-2015 से मुन्नालाल सोनी का स्थाई निषेधाज्ञा का दावा निरस्त हुआ है है। इसके वाद मुन्नालाल सोनी द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश छतरपुर के न्यायालय में अपील कमांक 12 ए/2015 प्रस्तुत की गई , जिसमें स्थगन की मांग पर आदेश दिनांक 14-5-15 से स्थगन आवेदन किया गया ।

इसी विषय-वस्तु से सम्बन्धित आवेदक कुँ. विकम सिंह ने माननीय उच्च न्यायाय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 6083/2016 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि -

" In view of the aforesaid stand being taken by the learned Panel Lawyer for the State, without commenting upon the merits of the matter which is pending before the Tehsildar , I am inclined to dispose of this petition by directing the Tehsildar to consider the objection raised be the petitioner and pass appropriate reasoned order. In case any adverse order to the interest of the petitioner in passed the thisd respondent shall not give the effect to the same for two weeks so that petitioner may take recouse of law.

विचार योग्य है कि जब माननीय व्यवहार न्यायालय में मामला प्रचलित है माननीय उच्च न्यायालय से भी डायरेक्शन है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालयों से जो आदेश होंगे, राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं तद्नुसार राजस्व न्यायालयों द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तद्नुसार इस निगरानी प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

सदस्य